



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/शोध (वि.यो.)/311-02/2017

दिनांक : 16.11.2017

सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2014 से विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों के लिए 'शोध' परियोजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य अकादमिक गतिविधियों एवं शोध की गुणवत्ता को गति देना है। इस 'शोध' परियोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष प्राध्यापकों द्वारा प्रस्तुत शोध-परियोजनाओं को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है।

इस शोध-परियोजनाओं में शोध सहायक की व्यवस्था नहीं की गई है। अतः शोध संबंधी कार्य शोधकर्ता को स्वयं करना होगा। अपेक्षित संसाधन, शोध सामग्री, उपकरण आदि हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इस 'शोध' के अंतर्गत प्राप्त होनेवाले प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

प्रस्ताव में शोध का विषय, विधि, अनुमानित बजट तथा अन्य अपेक्षित सहायता का उल्लेख आवश्यक है। शोध अवधि शोध प्रस्ताव स्वीकृति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष होगी।

विश्वविद्यालय शोध-परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव उचित माध्यम से आमंत्रित करता है। कुलसचिव कार्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27.11.2017 है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
16/11/17

प्रति,

समस्त शिक्षकगण (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. अकादमिक संयोजक
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट
5. संबंधित पत्रावली